



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 भाद्र 1948 (श0)  
(सं० पटना 1073) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2026

---

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

3 सितम्बर 2026

एस0ओ0 206, दिनांक 3 सितम्बर 2026—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सामाजिक सुरक्षा निधि नामक एक निधि की स्थापना करते हैं।

(सं० 01/OSHC-06/2026-212/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

3 सितम्बर 2026

एस0ओ0 207—एस0ओ0 206, दिनांक 3 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-06/2026-213/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

*The 3<sup>rd</sup> September 2026*

S.O. 206, dated 3<sup>rd</sup> September 2026— In exercise of the powers conferred by Section 115 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to set up a fund to be called the Social Security Fund for the purpose of the said code.

(No. 01/OSHC-06/2026-212/ L.R.)

By the Order of the Governor of Bihar,  
UPENDRA PRASAD,  
*Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1073-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>